वर्षः 01 अंकः 06

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर - अक्टूबर - 2021

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर

वर्षः 01 अंकः 06 अक्टूबर 2021

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com

@srajeshranjan

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से हर माह न्यूजलेटर प्रकाशित करने का सिलसिला बदस्तुर जारी है। हमें यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से अभी तक न्यूजलेटर के पांच अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित किए जा चुके हैं और इस बार छठा अंक प्रकाशित किया जा रहा है। फेस्टिव सीजन में अब नवंबर माह में दीपावली का त्यौहार है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित न्यूजलेटर का यह छठा अंक भी दीपों के त्यौहार दीपावली को समर्पित है। दीपावली दीपों का त्यौहार है। इस दिन रोशनी का विशेष महत्व होता है। दीपावली के कई मायने हैं। हम आशा करते हैं कि समाज का हर वर्ग दीये की तरह रोशन रहे और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ दूसरे वर्ग के लोग भी बिना किसी भेदभाव के मिल–जुलकर रहें। साथ ही आशा करते हैं कि जिस तरह से आप सभी ने आयोग के न्यूजलेटर को बीते पांच महीनों से अपना सहयोग और प्यार दिया है, उसी प्रकार आगे भी देते रहेंगे।

दीपावली पर आप सभी को बहुत–बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं!

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes

SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN

SHRI ARUN HALDER
VICE-CHAIRMAN

DR. ANJU BALA
MEMBER

SHRI SUBHASH RAMNATH PARDHI, MEMBER

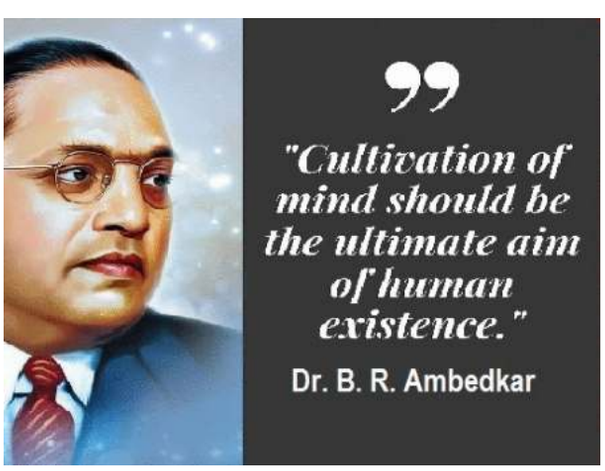

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

माननीय अध्यक्ष का सन्देश

विजय सांपला

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अर्थात असत्य से सत्य की ओर। अंधकार से प्रकाश की ओर। दीपों का पावन पर्व दीपावली भी यही संदेश देता है। यह अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा न्यूजलेटर का छठा अंक प्रकाशित प्रकाशित किया जा रहा है। यह काफी हर्ष का विषय है कि आयोग का छठा न्यूजलेटर ऐसे समय में प्रकाशित किया जा रहा है जब देश दीपों का त्यौहार मना रहा है।

आयोग अपने न्यजलेटर के माध्यम से लोगों को यह बताने के लिए लगातार प्रयासरत है कि आयोग अनुसूचित जाति वर्ग को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता व वचनबद्धता को निभाने के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा आयोग लगातार अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में स्पॉट विजिट से लेकर आयोग मुख्यालय में जनसुनवाई तक कर रहा है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्य से मिली घटनाओं की जानकारी पर भी आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित सरकारों और प्रशासन से जवाब मांगा जाता है। न्यूज लेटर के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि लोगों तक आयोग द्वारा लिए गए फैसलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी समय–समय पर पहुंचती रहे।

अक्टूबर माह के दौरान आयोग के समक्ष अनुसूचित जाति के साथ हुए कई दिल दहला देने वाले मामले आए। इनमें राजस्थान के हनुमानगढ़ में युवक की हत्या और सिंघु बॉर्डर पर पंजाब के लखबीर सिंह की बर्बरतापूवर्क हत्या का मामला शामिल है। आयोग ने इन मामलों पर बेहद सख्त रवैया अपनाया और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए। आयोग आगे भी अनुसूचित जाति के लोगों के लोगों को यूं ही न्याय दिलाने की जिम्मेदारी का वहन करता रहेगा। आप सबको, दीपावली की बधाई देते हुए आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य एवं सुन्दर भविष्य की कामना करता हूं।

सादर धन्यवाद

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

विजय सांपला
@thevijaysampla

ये था मामला

पंजाब के तरन तारन जिले के निवासी लखबीर सिंह (35) का पुलिस बैरीकेड से बंधा शव सिंघु बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मंच के पास मिला था। उसके शरीर पर धारदार हथियार के वार से बने करीब 10 निशान थे। घटना के कई वीडियो वायरल हुए थे। इस घटना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने हरियाणा पुलिस को किसान प्रदर्शन स्थल पर दलित व्यक्ति की हत्या के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा था।

लखबीर की हत्या करने वालों पर पीओ एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

सिंघु बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के बीच लखबीर सिंह की बर्बरतापूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लखबीर के परिजनों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला से दिल्ली स्थित आयोग के मुख्यालय में मिले। इस दौरान आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी भी मौजूद रहे। परिजनों ने कहा कि लखबीर सिंह का कत्ल किया गया है और इसकी सजा से बचने के लिए आरोपी बेअदबी के झूठे आरोप लगा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष ने लखबीर के परिवार को बताया कि न सिर्फ हत्या के दोषियों को सजा मिलेगी, बल्कि जिन लोगों ने उनके सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की है और परिवार को धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार संस्कार न करने देने की धमकी दी है, उन सब पर पीओ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पीओ एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित परिवार को 8.25 लाख रुपये मुआवजा दिलाया जाएगा, जिसमें से सवा चार लाख एफआईआर दर्ज होने पर मिलता है। सवा चार लाख अब तक क्यों नहीं मिले, इसके लिए संबंधित सरकारी अधिकारियों को दिल्ली तलब करेंगे। पीओ एक्ट के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लखबीर की तीनों बेटियों की सरकारी खर्च पर पढ़ाई हो और लखबीर की मां को प्रति माह पेंशन मिले।

इससे पहले इस मामले में दलित समाज के विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की थी। दलित समाज के संगठनों से मुलाकात करने के बाद आयोग अध्यक्ष ने कहा कि हम इस मामले में पहले ही डीजीपी हरियाणा, मुख्य सचिव को इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेज चुके हैं और फैक्स के माध्यम से रिपोर्ट भी मांग चुके हैं।

स्पॉट विजिट

हनुमानगढ़ में युवक की हत्या, आयोग ने कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा

घटना 4 नवंबर की है जब कुछ लोगों ने राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित पीलीबंगा थाना क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव के एक दलित युवक का अपहरण कर श्रीगंगानगर जिले में ले जाया गया और सूरतगढ़ क्षेत्र में उसकी लाठी–डंडों से पीट–पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को मृतक के घर बाहर फेंक दिया गया था। युवक की बेरहमी से की गई पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया था। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने हनुमानगढ़ का दौरा किया। टीम में आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व आयोग के आला अधिकारी भी शामिल रहे। इस दौरान आयोग की टीम मृतक युवक के परिजनों से मिली। आयोग ने पीड़ित परिवार से मिल कर संवेदना प्रकट की और मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। माननीय अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति के युवक की पीट–पीटकर हत्या की घटना को निंदनीय व अमानवीय बता। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद आयोग टीम ने बीकानेर रेंज आईजी, हनुमानगढ कलेक्टर और एसपी से भी प्रकरण की जानकारी ली।

महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 100 परिवारों ने किया गांव छोड़ने का ऐलान

महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक और जातीय भेदभाव की घटना सामने आई है। पूरा मामला अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील दानापुर इलाके का है। बताया जा रहा था कि यहां पर जातीय भेदभाव से तंग आकर विरोध स्वरूप लगभग 100 अनुसूचित जाति के परिवारों ने गांव छोड़ने का मन बना लिया है। गांव छोड़ने की इस गंभीर मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने गांव का स्पॉट विजिट किया। इस दौरान माननीय सदस्य ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याएं को जाना।

साथ ही इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने का आश्वासन दिलाया। इस अवसर पर स्थानीय जिलाधिकारी और पुलिस अधिक्षक तथा सामाज कल्याण विभाग प्रादेशिक उपायुक्त उपस्थित रहे।

राजस्थान में बढ़ते दलित अत्याचारों पर चर्चा

माननीय केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला और माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान में बढ़ते दलित अत्याचारों को लेकर बातचीत की। साथ ही दलितों पर अत्याचार करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करके पीड़ितों को न्याय दिलवाने के संबंध में भी चर्चा की।

आयोग की पांचवी बैठक

छइे आयोग का गठन फरवरी 2021 में किया गया था। गठन के बाद से अभी तक आयोग की पांच बैठकें हो चुकी हैं। 11 अक्टूबर 2021 को आयोग की पांचवी बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक आयोग मुख्यालय में हुई। इस बैठक में माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी मौजूद रहे। साथ ही सेक्रेटरी श्री आर सुब्रमण्यम, डायरेक्टर श्री अजीत कुमार साहू और श्री कौशल कुमार भी मौजूद रहे। इस बैठक में आयोग के कामों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि इससे पहले भी आयोग चार बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 17 मार्च 2021, दूसरी बैठक 1 अप्रैल 2021, तीसरी बैठक 23 अगस्त 2021 को और चौथी बैठक 20 सितंबर 2021 को हुई थी।

रिव्यू मीटिंग

अनुसूचित जाति आरक्षण नीति कार्यान्वयन की समीक्षा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिव्यू मीटिंग के लिए मुंबई का दौरा किया। इस दौरे का नेतृत्व आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने की। इस टीम में माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी भी मौजूद रहे। इनके अलावा इस रिव्यू मीटिंग के लिए गई आयोग टीम में आयोग के आला अधिकारी भी शामिल रहे। इस रिव्यू मीटिंग में आयोग के माननीय अध्यक्ष विजय सांपला के अध्यक्षता में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अनुसूचित जाति आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड की रिव्यू मीटिंग

वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड की रिव्यू मीटिंग के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने नागपुर का दौरा किया। ये रिव्यू मीटिंग आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी के नेतृत्व में की गई। इस मीटिंग में वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

देहरादून क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैकों के प्रतिनिधियों की सुनी समस्याएं

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने अक्चूबर माह में उत्तराखंड राज्य का भी दौरा किया। उत्तराखंड दौरे का नेतृत्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने किया। इस दौरान उन्होंने देहरादून क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। साथ ही उनके समाधान संबंधित विषयों पर विचार विमर्श भी किया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 26 अक्टूबर, 2021 से लेकर 1 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पहले दिन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने आयोग के सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार हर वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह बड़े उत्साह और सक्रिय भागीदारी के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष की विषय–वस्तु (थीम) 'स्वतंत्र भारत /75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता'। इस मौके पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आज समयानुकूल और शुचितापूर्ण व्यवस्थाएं लोगों की जिंदगी को आसान बना रही है। देश के नागरिकों को सशक्त करने के लिए जिस तरह तकनीक और नागरिकों की सत्यनिष्ठा को ताकत बनाया गया है, उसने सामान्य जन का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और सहज व्यवस्थाओं के कारण देश के जन–जन में यह भरोसा भी कायम हुआ है कि अब भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता।

जनसुनवाई

अनुसूचित जाति परिवार को घर छोड़ने को किया मजबूर

पश्चिम बंगाल में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया। साथ ही एक अन्य मामले में अन्य अनुसूचित जाति परिवार को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष माननीय श्री अरूण हालदार ने हुगली के बैद्याबति और श्रीरामपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस आयुक्त और डीएम हुगली से चर्चा कर पीड़ित को मुआवजे दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

NH 91 का चौड़ीकरण से 15 हजार लोग होंगे प्रभावित

NH–91 का चौड़ीकरण होने के कारण सुभानपुर मोहिद्दीनपुर मार्ग पर आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो रहा है जिसके कारण 5 ग्राम सभाओं की लगभग तीस हजार जनता प्रभावित हो रही है। मोहिद्दीनपुर मार्ग के आसपास लगभग 15 हजार अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। छभ–91 का चौड़ीकरण होने के कारण लोगों को लगभग 8 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आवागमन करना पड़ेगा। इस समस्या के समाधान हेतु सम्बंधित ग्राम सभाओं के सभी

ग्राम प्रधानों द्वारा अपना आवेदन आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला को दिया गया। इस पर उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया।

मुख्यालय में मामले की सुनवाई

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में एक गंभीर मामले की सुनवाई करते हुए माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार। इस दौरान प्रार्थी, संबंधित विभागों के अधिकारी व आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान माननीय उपाध्यक्ष ने मामले में न्यायोचित कार्यवाही करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

समस्याओं पर न्यायोचित कार्यवाही के निर्देश

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने आयोग के नई दिल्ली कार्यालय में जन समस्याएं सुनी एवं उनकी समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही कर निस्तारण किया। इस दौरान प्रार्थी भी मौजूद रहे।

मेघालय में पंजाबी लेन स्थानांतरित करने पर आयोग का नोटिस

मेघालय सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर शहर के थेम इव मावलोंग इलाके में पंजाबी लेन में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को स्थानांतरित करने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि समिति ने शहरी मामलों के विभाग से क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने की सिफारिश की है, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को संबंधित विभागों के आधिकारिक क्वार्टर में स्थानांतरित किया जाएगा। संगमा ने कहा कि, "शहरी मामलों के विभाग को एक प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश करने को कहा गया है और उन सभी पहलुओं की जांच के बाद सरकार उस पर फैसला करेगी।"

इस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लेते राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले में आयोग ने मेघालय सरकार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, आईजीपी शिलॉन्ग, डीसी शिलॉन्ग और ईस्ट खासी हिल्स के एसपी से जवाब तलब किया। आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने कहा कि हमने इस मामले में राज्य सरकार से पूरी जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पहले इस मामले में पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए थी।

छत्तर गांव अनुसूचित जाति वर्ग का सामाजिक बहिष्कार

हरियाणा के छात्तर गांव के लोगों ने दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। आरोप था कि एक दलित शख्स के साथ मारपीट के बाद एससी–एसटी एक्ट में दर्ज हुए मामले को वापस लेने का फरमान पंचायत ने सुनाया था। जब पीड़ित ने केस वापस लेने से मना किया तो गांव ने इनका हुक्का–पानी बंद कर दिया। इस घटना पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया। आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने इस मामले में हरियाणा के डीजीपी को तुरंत कार्रवाई कर कारवाई की सूचना आयोग को देने का निर्देश दिया।

राजस्थान के शेखावास पाली की सरकारी स्कूल में छुआछूत के मामले में आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया। सोशल मीडिया के जरिए सामने आए इस मामले को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने बहुत दुखद बताया। उन्होंने इस मामले पर राजस्थान सरकार से रिपोर्ट तलब की। दरअसल वायरल वीडियो में बताया गया था कि शेखावास पाली की सरकारी स्कूल में खुलेआम छुआछूत हो रहा है। जबकि प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सिंघु बॉर्डर केस: अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने लिखा पत्र, कहा- लखबीर हत्याकांड मामले में बेअदबी के अभी तक नहीं मिले सबूत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 18 Oct 2021 08:26 PM IST

सार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को पत्र लिखा और लखबीर सिंह मामले में सिख मर्यादा के अनुसार भोग करवाने की अपील की। इससे पहले श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की थी।

विजय सांपला - फोटो : फाइल

विस्तार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कुंडली बार्डर पर किसानों के धरनास्थल पर हुई अनुसूचित जाति के लखबीर सिंह की हत्या के मामले में सिख मर्यादा के अनुसार भोग करवाया जाए।

सांपला ने पत्र में कहा कि आपको इसकी भी जानकारी होगी कि लखबीर के अंतिम संस्कार पर कुछ लोगों, खासकर सत्कार कमेटी ने यह कहते हुए कि इसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है, अंतिम संस्कार पर सिख मर्यादा के अनुसार अरदास नहीं करने दी गई। पत्र में सांपला ने कहा कि वायरल वीडियो में कुछ लोग तड़पते हुए लखबीर सिंह के पास खड़े होकर बोल रहे हैं कि इसने बेअदबी की है, लेकिन सच यह है कि इस संबंध में अब तक कोई वीडियो या फोटो प्रमाण के रूप में सामने नहीं आया है, जिससे साबित हो सके कि अनुसूचित जाति के सिख ने बेअदबी की थी।

सांपला ने कहा कि जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें से एक में जमीन पर पड़ा लखबीर सिंह बेरहमी से कटे हाथ के साथ कराहता दिख रहा है, दूसरे वीडियो में उसे संयुक्त किसान मोर्चा के मुख्य मंच के पास उल्टा लटकाया गया है और तीसरे वीडियो में वह सड़क अवरोधक (बैरिकेड) के साथ लटका है।

उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस जांच में यह साबित नहीं हो जाता कि लखबीर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है, तब तक लखबीर को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। वैसे भी वायरल वीडियो में वहां खड़े निहंग सिख/लोग खुद बोल रहे हैं कि लखबीर सिंह सर्वलोह ग्रंथ की पोथी लेकर भाग रहा था तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब

खबरों में आयोग

Hindustan Times

National SC commission seeks report from Haryana Police

HT Correspondent
letterschd@hindustantimes.com

CHANDIGARH: The National Commission for Scheduled Castes (NCSC) on Friday asked the Haryana Police to take strict action against those behind lynching a man at a farmers' protest venue at Kundli near the Delhi-Haryana border. NCSC chairperson Vijay Sampla also sought a preliminary report from the Haryana Police within 24 hours.

A man was lynched, his hand chopped off and the body tied to a metal barricade at a farmers' protest venue at Kundli near the Delhi-Haryana border, a gruesome incident being blamed on a group of Nihangs. Sampla said the man identified as Lakhbir Singh belonged to the Scheduled Caste (SC) community.

Condemning the violence, Sampla termed it a heinous "Talibani crime".

Sampla said: "After watching a video that went viral, it seems activists of the farmers' organisations sitting on the protest have no fear of the law. No matter how big the mistake, no one has the right to kill anybody," Sampla said.

"Singhu Border is the main hub of the farmers' protest where the leaders and workers of various organisations have deployed 24-hour security. Even then, the Dalit man was brutally beaten, his had chopped off, brought near the same platform and then tied up with a rope and hung upside down, while the activists of farmer organisations acted as mute spectator," said Sampla.

He said the leaders of SKM, who immediately gives press statements even on small matters, took 12 hours to hold a press conference on the murder of the Dalit man.

(With PTI inputs)

[redacted]

मेघालय सरकार के एस.सी. सिखों को बेघर करने के आदेश

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने चीफ सैक्रेटरी, डी.जी.पी. से मांगा जवाब

● विजय सांपला के निर्देश पर नोटिस जारी

चंडीगढ़, 11 अक्तूबर (नरेश) : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने मेघालय सरकार द्वारा शिलोंग में एस.सी. सिखों को हरिजन कालोनी से उजाड़कर तथा उनको जमीन की मलकीयत सरकार को सौंपने के मामले का कड़ा नोटिस लेते हुए सरकार को तुरंत इस मामले की एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

विजय सांपला

स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा आयोग को प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने एस.सी. सिखों की हरिजन कालोनी वाली भूमि को एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर निकाय विभाग को सौंपने के आदेश दिए हैं।

एस.सी. सिखों व खासी समुदाय के बीच बढ़ती हिंसा के कारण शिलोंग में हालात काफी समय खराब रहे थे

उल्लेखनीय है कि कुछ समय से एस.सी. सिखों व खासी समुदाय के बीच बढ़ते साम्प्रदायिक हिंसा के कारण शिलोंग में हालात काफी समय खराब रहे थे तथा लंबे समय से एस.सी. सिखों की हरिजन कालोनी को खासी समुदाय के लोग किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे जिसके चलते 2018 में उपरोक्त कमेटी का गठन किया गया था। हरिजन कालोनी में बसे एस.सी. सिखों, जोकि नगर निगम में सफाई का काम करते थे, उन्हें मेघालय सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि उनकी कालोनी को कहीं अन्य जगह शिफ्ट किया जाएगा तथा वहां उन्हें नए घर दिए जाएंगे। हरिजन पंचायत समिति द्वारा सरकार के इस निर्देश का विरोध करते हुए दावा किया गया कि 1954 में भी सिखों को धोखे में रखकर हरिजन कालोनी के सिखों को यहां से बेदखल करने का प्रयास किया गया था।

चेयरमैन विजय सांपला ने हरिजन कालोनी सहित उसमें मौजूद गुरुद्वारा साहिब, रविदास महाराज का गुरुद्वारा, वाल्मीकि मंदिर व स्कूल आदि हटाने के आदेशों पर ऐतराज जाहिर किया।

पीड़ित एस.सी. सिख परिवारों को न्याय दिलाने के मकसद से आयोग ने मेघालय सरकार के चीफ सैक्रेटरी, डी.जी.पी., शिलोंग के इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डी.सी. व एस.एस.पी. (ईस्ट खासी हिल्ज) को नोटिस जारी किया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कहा कि उपरोक्त अधिकारी इस मामले की सभी तथ्यों से जांच कर तुरंत कार्रवाई रिपोर्ट दायर करें। यदि आयोग के आदेशों की पालना नहीं होती तो जिला अधिकारियों को नई दिल्ली आयोग की अदालत में तलब किया जाएगा।

दैनिक सवेरा Tue, 12 October 2021 epaper.dainiksaveratimes.org/c/63697916

Nat'l SC panel seeks report from Meghalaya on move to shift Sikhs

TIMES NEWS NETWORK

Chandigarh: Taking note of the Meghalaya government's decision to shift scheduled caste (SC) Sikhs from Shillong's Punjabi Lane and transfer the ownership of their centuries-old-owned land to the state, the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) has sent a ... government seeking an immediate action-taken report.

Commission chairperson Vijay Sampla said he got information from newspaper reports that Meghalaya chief minister Conrad Sangma, on the recommendations of a high-level committee on the relocation of the community members, ordered changing of the owners... Punjabi Lane was situated to the urban affairs department.

The committee was constituted in June 2018 to look into the demand by local Khasi outfits for shifting the Sikhs who have been living in the area for generations. There was communal violence in the area in 2018, which had paralysed life in ...

The Meghalaya government also said municipal employees (scheduled caste Sikhs who work as sweepers) living in the Harijan Colony will be relocated to the new location where residences would be provided to them. However, resisting relocation, Harijan Panchayat Committee members claimed that attempts were ma... Harijan Colony by roping in the local tribal chieftain in 1954 too. While asking the officials to intervene into the matter and ensure justice, the commission sent the notice to the chief secretary of Meghalaya, the DGP, IG of Shillong police, deputy commissioner of Shillong, and SP of East Khasi Hills.

The commission asked ... on Monday to investigate the matter and submit a report by post or email. Sampla cautioned officers that if action-taken report was not received within the stipulated time, the commission might exercise powers of the civil court conferred on it under Article 338 of the Constitution and issue a summon for personal appearance before ...

Submit report: Panel to Meghalaya Govt

SHILLONG EVICTION Issues notice over relocation of SC Sikh families from colony

TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, OCTOBER 11

Taking note of the Meghalaya Government's decision to evict Scheduled Caste Sikhs from Shillong's Harijan Colony (Punjabi Lane) and transferring ownership of their land to the state, the National Commission for Scheduled Castes (NCSC), on orders of Chairman Vijay Sampla, today sent a notice to state asking the authorities to submit an immediate action-taken report.

As per information received by the NCSC from reports published in newspapers, Meghalaya CM Conrad Sangma, on the recommendations of a high-level committee on relocation of community members, ordered changing of ownership of land (on which the Harijan Colony was situated) to the Urban Affairs Department.

OFFICIALS WARNED

- The National Commission for Scheduled Castes has asked the Meghalaya Govt to submit a report based on facts and information on action taken on allegations
- If the report is not received within the stipulated period, the panel may issue summons for personal appearance before commission in New Delhi

The committee was constituted in June 2018 to look into the demand by the local Khasi outfits for shifting the Sikhs, who have been living in the area for generations. There was communal violence in the area in 2018, which had paralysed life in Shillong for weeks.

The state government also said the municipal employees (Dalit Sikhs who work as sweepers) living in Harijan Colony would be relocated to the new location where residences would be provided to them.

However, resisting relocation, Harijan Panchayat Committee members claimed attempts were made to evict Sikh residents of Harijan Colony by roping in the local tribal chieftain in 1954 too.

Asking officials to intervene and ensure justice the family, the commission has sent notices to the Chief Secretary, Government of Meghalaya; DGP; Shillong IGP; Shillong DC and SP (East Khasi Hills).

The commission asked the authorities to investigate the matter and submit a report based on the facts and information on the action taken on the allegation/matter.

Sampla cautioned officers that if the report was not received within the stipulated period, the commission might exercise the powers of the civil court conferred on it under Article 338 of the Constitution of India and issue summons for personal appearance before the commission in Delhi.

The Tribune Tue, 12 October 2021 https://epaper.tribuneindia.com/c/63696997

Ensure Lakhbir's bhog as per Sikh maryada: Sampla to Akal Takht

EXPRESS NEWS SERVICE
LUDHIANA, OCTOBER 18

NATIONAL COMMISSION for Scheduled Castes (NCSC) chairman Vijay Sampla Monday wrote to Akal Takht Jathedar Giani Harpreet Singh and requested him to ensure that Lakhbir Singh's bhog is performed as per Sikh Rehat Maryada (Sikh code of living). Lakhir Singh was killed allegedly by Nihangs at the Singhu protest site.

While addressing the letter, Sampla said, "You must be aware of the brutal murder of Lakhbir Singh, a Scheduled Caste Sikh from Punjab, at the farmers' protest site at Singhu near the Delhi-Haryana border. You must have also got the information that some people, especially the members of Satkar committee, objected to the victim's cremation as per Sikh rituals, citing sacrilege of the Sri Guru Granth Sahib."

He added: "However, in the viral video, the culprits and other people can be seen saying that Lakhbir Singh had disrespected the Sikh holy book ...

... the sacrilege."

As per the statements given by farmer organisations or SKM during the press conferences, the victim was found with Sarbloh Granth rather than Sri Guru Granth Sahib, Sampla added.

"In one of the viral videos, Lakhbir Singh was seen lying on the ground with his amputated hand, whereas in the second video, he was hung upside down near the main stage of protesting farmers' organisation, Samyukta Kisan Morcha. The third viral video shows that he was hung with a road barricade, probably after his death," Sampla said, adding that "we firmly believe that SC Lakhbir Singh should not be stated as guilty until the police investigation proves the same".

Sampla also mentioned that in Punjab, especially in the border districts, a large number of SC Sikhs have been targeted and converted, adding that "incidents like the murder of Lakhbir Singh and objection during his cremation will further speed up the conversion drive".

Sampla further said that Lakhbir Singh's bhog rituals ...

लखबीर के वारिसों को 8.25 लाख रुपए मुआवजा, दोनों बेटियों की मुफ्त शिक्षा और मां को पैंशन सुनिश्चित की जाएगी : विजय सांपला

● मृतक लखबीर सिंह के परिवार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन से मिलकर लगाई न्याय की गुहार

अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से मुलाकात करते मृतक लखबीरके परिवार वाले, परमजीत कैंथ व अन्य।

चंडीगढ़/ जालंधर/ होशियारपुर, 25 अक्तूबर (नरेश/ रविंदर/ विकास) : संयुक्त किसान मोर्चा के धरना स्थल पर जिस दलित सिख लखबीर सिंह की बेरहमी से हत्या की गई थी उसकी पत्नी, तीनों बेटियां, बहन, ससुर व साले ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला से दिल्ली स्थित हैडक्वार्टर में मिलकर न्याय की गुहार लगाई। गैर सरकारी संगठन नैशनल शैड्यूल्ड कास्ट्स अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल लखबीर के परिवार को आयोग में ले गया था। पीड़ित परिवार, जिसमें मृतक की पत्नी जसप्रीत कौर, तीनों पुत्रियों तानिया-संदीप कौर-कुलदीप कौर, बहन राज कौर, ससुर बलदेव सिंह, भतीजी जसप्रीत कौर और साला सुखचैन सिंह शामिल रहा, ने कहा कि लखबीर का कत्ल किया गया है और इसकी सजा से बचने के लिए दोषी बेअदबी के झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मारने/ कत्ल/ अत्याचार के वीडियो तो बहुत हैं, तो बेअदबी के वीडियो/ प्रमाण क्यों नहीं। परिवार ने विजय सांपला से मांग की कि दोषियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। परिवार ने विजय सांपला को बताया कि उनकी मदद के लिए न तो कोई धार्मिक व सामाजिक संस्था सामने आई तथा न ही पंजाब सरकार। परिवार ने कहा कि पंजाब सरकार दूसरे राज्यों में जाकर कई लाख रुपए दे सकती है, तो अपने ही प्रदेश के एक दलित सिख लखबीर सिंह, जिसकी बिना कारण हत्या कर दी गई, उसके लिए क्यों नहीं कुछ कर रही। उन्होंने विजय सांपला से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। वहीं नैशनल शैड्यूल्ड कास्टस अलायंस के महासचिव एडवोकेट यदविंदर चौहान, जो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, ने भी विजय सांपला से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से परिवार को राहत प्रदान करने का आग्रह किया।

पी.ओ. एक्ट के तहत होगी कानूनी कार्रवाई

सांपला ने परिवार को स्पष्ट किया कि न सिर्फ हत्या के दोषी लोगों को सजा मिलेगी, बल्कि जिन लोगों द्वारा उनका सामाजिक बायकॉट की घोषणा की गई और परिवार को धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार संस्कार नहीं करने दिया गया। उन सभी पर पी.ओ. एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सांपला ने आगे कहा कि अनुसूचित जाति अधिनियम / पी.ओ. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उन्हें 8.25 लाख रुपए मुआवजा दिलवाया जाएगा जिसमें से सवा 4 लाख एफ.आई. आर. दर्ज होने पर मिलता है। सवा 4 लाख रुपए अब तक क्यों नहीं मिला इसके लिए संबंधित सरकारी अधिकारियों को दिल्ली तलब करवाएंगे। सांपला ने आखिर में कहा कि इसी पी.ओ. एक्ट के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लखबीर सिंह की तीनों बेटियों की सरकारी खर्चे पर पढ़ाई हो और इसके साथ लखबीर सिंह की माता को प्रति माह पैंशन मिले।

दैनिक सवेरा Tue, 26 October 2021 epaper.dainiksaveratimes.org/c/63962116

अकाल तख्त के जत्थेदार से की अपील

सिंघु बॉर्डर पर कत्ल किए गए लखबीर का भोग सिख धर्म के अनुसार हो : सांपला

चंडीगढ़ | एससी आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने कहा कि सिंघु बार्डर पर किसानों के धरनास्थल पर कत्ल किए गए अनुसूचित जाति के लखबीर सिंह का भोग सिख धर्म के अनुसार ही होना चाहिए। इसके लिए सांपला ने अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पत्र लिख अपील की है। पत्र में लिखा कि 'आपको जानकारी होगी कि लखबीर के संस्कार पर सत्कार कमेटी ने यह कहते हुए कि इसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है, उसके अंतिम संस्कार पर सिख मर्यादा अनुसार अरदास नहीं करने दी थी।' वीडियो में कुछ लोग लखबीर के पास खड़े होकर बोल रहे हैं कि इसने बेअदबी की है लेकिन इस संबंध में अभी कोई वीडियो, फोटो प्रमाण के रूप में सामने नहीं आया है। जिससे साबित हो कि लखबीर ने बेअदबी की थी।

सिख धर्म की मर्यादा के अनुसार हो लखबीर सिंह का भोग : विजय सांपला

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से की अपील

● जब तक कोई सबूत नहीं मिलता या पुलिस उसे दोषी नहीं मानती, तब तक उसे बेअदबी का दोषी मानना गलत : सांपला

विजय सांपला

चंडीगढ़/ होशियारपुर, 18 अक्तूबर (नरेश/ विकास) : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि अनुसूचित जाति के लखबीर सिंह का भोग सिख धर्म के अनुसार करवाया जाए।

सांपला ने कहा कि आपको इसकी भी जानकारी होगी कि उसके अंतिम संस्कार पर कुछ लोगों (खासकर सत्कार कमेटी द्वारा यह कहते हुए कि इसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है) ने उसके अंतिम संस्कार की सिख मर्यादा के अनुसार अरदास नहीं करने दी गई।' पत्र के जरिए विजय सांपला ने बताया कि वायरल वीडियो में कुछ लोग तड़पते हुए लखबीर के पास खड़े होकर बोल रहे है कि इसने बेअदबी की है किंतु सच तो यह है कि इस संबंध में अभी तक कोई भी प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो सके कि अनुसूचित जाति के सिख ने बेअदबी की थी। सांपला ने आगे कहा कि जो वीडियो सामने आए है उनमें से एक में जमीन पर पड़ा लखबीर बेरहमी से कटे हाथ के साथ दिख रहा है। दूसरे वीडियो में उसे संयुक्त किसान मोर्चा के मुख्य मंच के पास उल्टा टांगा गया है और तीसरे वीडियो में वह बैरिकेट के साथ टांगा हुआ है। जब तक पुलिस की जांच पड़ताल में यह साबित नहीं हो जाता कि उसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है तब तक अनुसूचित जाति के लखबीर सिंह को दोषी नहीं माना जाना चाहिए।

अनुसूचित सिख धर्मांतरण संस्थाओं के निशाने पर

विजय सांपला का कहना है कि पंजाब भर में खासकर बॉर्डर जिलों में बहुत सी संस्थाओं द्वारा धर्मांतरण मुहिम चलाई जा रही है जिससे अनुसूचित सिखों को विशेष तौर पर निशाने पर लेकर बड़ी संख्या में धर्मांतरण किया गया है और जोर-शोर से अभी भी किया जा रहा है। लखबीर सिंह की हत्या एवं उसके संस्कार के दौरान अरदास न करने देना और भोग की रस्म का विरोध करना जैसी घटनाएं अनुसूचित जाति के सिखों को और निराशा की तरफ धकेलती हैं और ऐसे व्यवहार के कारण पंजाब में धर्मांतरण की मुहिम को तेजी मिलती है। विजय सांपला ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब से अपील की कि सिंघु बार्डर पर मौत का शिकार हुए लखबीर सिंह की अंतिम रस्में सिख धर्म की मर्यादा के तहत किए जाने की अनुमति दी जाए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य मृतक के घर पहुंचे

पीट-पीट कर कर दी थी हत्या

हनुमानगढ़। पीलीबंगा पुलिस थाना क्षेत्र के गांव प्रेमपुरा में दलित जगदीश की हत्या के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला व सदस्य सुभाष पारदी आज मृतक के घर पहुंचे। उनके साथ जिला कलेक्टर नथमल डिडेल व पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन सहित अन्य अधिकारी भी थे।

आयोग के अध्यक्ष श्री सांपला व सदस्य पारदी ने मकतूल के परिजनों से मिल कर ढ़ाढ़स बंधाया। उन्होंने सरकार की ओर से मिली आर्थिक सहायता के बारे में बातचीत की। परिजनों ने उन्हें बताया कि अभी तक 4 लाख 12 हजार 500 रुपये की राशि मिल चुकी है। इस मामले में आयोग के अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से सर्किट हाउस में इस मामले की रिपोर्ट ली।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की जनसुनवाई

'पुलिस चार्जशीट दाखिल करने में समयसीमा का ध्यान रखे'

श्रीगंगानगर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सांपला श्रीगंगानगर दौरे पर रहे। उन्होंने बुधवार को सर्किट हाउस में संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा व जिला कलक्टर जाकिर हुसैन के साथ जनसुनवाई की।

उन्होंने अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की परिवेदनाएं सुनी तथा त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश प्रदान किए कि जिनकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है उसे दो दिन में प्रस्तुत किया जाए।

उन्होंने कहा कि 5 साल से जिले में ऐसे मामलों में जितनी भी एफआईआर हुई है उनकी रिपोर्ट बनाकर आयोग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पुलिस चार्जशीट दाखिल करने में समयसीमा का ध्यान रखे एवं कितने चालान पेश हुए, एफआईआर व कंविनेशन रेट सहित पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। संभागीय आयुक्त भंवर लाल मेहरा इस दौरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहे व उन्होंने जनसुनवाई की। जिला कलक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने में प्रशासन व पुलिस एक साथ कार्य कर रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने कहा कि पुलिस मुस्तैद है व किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा व निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा।

लखबीर के परिवार ने सांपला से लगाई न्याय की गुहार

पीड़ित परिवार को मिलेगा 8.25 लाख मुआवजा : सांपला, परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

नई दिल्ली में सोमवार को तरनतारन के लखबीर सिंह के परिवार के सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला से मुलाकात करते हुए • सौ. विजय सांपला

जागरण टीम, नई दिल्ली/चंडीगढ़ : संयुक्त किसान मोर्चा के धरनास्थल कुंडली बार्डर पर निहंग सिखों द्वारा मारे गए तरनतारन के लखबीर सिंह के परिवार ने सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला से नई दिल्ली में लोकनायक भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान लखबीर की पत्नी जसप्रीत कौर, तीनों पुत्रियां तानिया, संदीप कौर व कुलदीप कौर, बहन राज कौर, ससुर बलदेव सिंह, भतीजी जसप्रीत कौर व साला सुखचैन सिंह मौजूद थे।

परिवार ने सांपला से कहा कि लखबीर की हत्या के आरोपित सजा से बचने के लिए बेअदबी के झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हत्या व प्रताड़ित करने के वीडियो तो बहुत हैं, लेकिन बेअदबी के वीडियो/प्रमाण क्यों नहीं हैं? परिवार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिवार ने सांपला से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। सांपला ने परिवार को स्पष्ट किया कि न सिर्फ हत्या के दोषियों को सजा मिलेगी, बल्कि जिन लोगों द्वारा उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया और परिवार को धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार संस्कार नहीं करने दिया गया, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी।

अनुसूचित जाति अधिनियम/पीओ एक्ट के प्रावधानों के अनुसार परिवार को 8.25 लाख रुपये मुआवजा दिलवाया जाएगा, जिसमें से सवा चार लाख एफआइआर दर्ज होने पर मिलता है। यह राशि अब तक क्यों नहीं मिली, इसके लिए संबंधित सरकारी अधिकारियों को दिल्ली तलब कर पैसे जारी करवाएंगे। साथ ही पीओ एक्ट के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लखबीर की तीनों बेटियों की सरकारी खर्चे पर पढ़ाई हो और इसके साथ परिवार को प्रति माह पेंशन मिले। नेशनल शेड्यूल कास्ट्स अलायंस (एनएससीए) के अध्यक्ष परमजीत कैंथ ने पंजाब सरकार से पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की।

लखबीर की हत्या के आरोपित निहंगों को भेजा जेल

जासं, सोनीपत : कुंडली बार्डर पर पंजाब के दलित युवक लखबीर की बर्बर तरीके से हत्या करने के आरोपित चारों निहंगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। रिमांड पूरा होने पर चारों को सोमवार दोपहर न्यायालय में पेश किया गया। अगली सुनवाई में चारों आरोपितों की पेशी वीडियो कांफ्रेंस से होगी। दूसरी ओर लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए लवप्रीत के पिता सतनाम सिंह को पंजाब व छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित 50-50 लाख की सहायता राशि का चेक सौंपा गया।

Dainik Jagran (Punjab) -- 26-10-2021 -- Page 6

SC panel slams Punjab govt for not reaching out to Lakhbir Singh's family

LIZ MATHEW
NEW DELHI, OCTOBER 25

ACCUSING THE Punjab government of not coming to the aid of Lakhbir Singh's family, National Commission for Scheduled Castes chairperson Vijay Sampla said the commission would push for them monetary relief and other assistance.

After meeting the family members at the commission's office in the national capital, Sampla said: "Despite the inhuman act inflicted on him in his death, the family was not heard by anyone. The Punjab government said it has arrested four people but no one heard the family. The Punjab government, which otherwise takes interest in such incidents in other states and make big anthing for this family which belongs to the state. The family has complained that the government has not done anything for them."

He said that the commission has promised the family that the monetary relief it is entitled to would be reaching them as early as possible. He said two families with four young girls were dependent on Lakhbir Singh. Sampla said the education of the girls will be taken care of till the children want to. The widow of Lakhbir Singh would get a pension of Rs 5,000 per month, he announced.

Sampla also said there should be protection for the family from the social boycott that is happening. "We had earlier written to the Akal Takht that the social boycott should not be allowed. In the border areas, religious conversions are on the rise, this will worsen it,"

सिंधु बार्डर पर किया कत्ल तालिबानी बर्बरता जैसा : सांपला

चंडीगढ़, 15 अक्तूबर (राम सिंह बराड़): सिंधु बार्डर पर एक व्यक्ति के कत्ल के मामले ने तुल पकड़ लिया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने हरियाणा के डीजीपी से जवाब मांगा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने कहा कि 'जिस बेरहमी से सिंधु बार्डर पर एक व्यक्ति का हाथ काटकर, टांग तोड़कर कत्ल किया गया, यह एक तालिबानी कार्रवाई है। सांपला ने कहा कि लखबीर सिंह की हत्या के वायरल वीडियो देखने के बाद लगता है कि सिंधु बार्डर पर बैठे आंदोलनकारियों/किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं को कानून का कोई डर नहीं है। गलती कितनी भी बड़ी हो, पर किसी को आरोपी को जान से मारने का हक नहीं।

राजस्थान में बढ़ रही दलितों से दुष्कर्म व हत्या की घटनाएं आयोग के संज्ञान में 80 शिकायतें, करा रहे जांचः सांपला

प्रेमपुरा दलित हत्याकांडः राष्ट्रीय एससी आयोग ने ली मामले की जानकारी

हनुमानगढ़/पीलीबंगा| राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने पिछले कुछ समय से राजस्थान व बीकानेर संभाग में दलित से दुष्कर्म और हत्या की आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। फरवरी से लेकर अब तक अकेले राजस्थान की 70-80 घटनाओं की शिकायत हमें मिली है जिनकी आयोग जांच करवा रहा है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आयोग अध्यक्ष ने कहा कि पीलीबंगा के प्रेमपुरा में दलित की हत्या अमानवीय है। मृतक का शव उसके घर के बाहर फेंकने के बाद मृतक के सीने पर मोबाइल रखने के बाद भी दरिंदगी की गई। इससे पहले घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया गया। उन्होंने कहा कि वे पीड़ित परिवार से मिले हैं जिनको न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया गया। नियमानुसार 8.25 लाख रुपए की सहायता राशि में से 50 प्रतिशत राशि दी जा चुकी है। वहीं परिवार के एक सदस्य को नौकरी और बुजुर्ग माता-पिता को पांच हजार रुपए पेंशन का प्रावधान है जिसके लिए प्रशासन को निर्देश दिए हैं। इस केस में चालान होने के बाद शेष सहायता राशि दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अकेले बीकानेर संभाग की बात करें तो संभाग में इस तरह के 14 मामले आयोग के संज्ञान में आए हैं जिसको लेकर रेंज आईजी और संभागीय आयुक्त को निर्देश दिए हैं। प्रेमपुरा के जगदीश की हत्या मामले में किसी तरह का मिसमैच के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आया लेकिन परिजनों का कहना है कि जिन लोगों की मुख्य भूमिका रही है उन लोगों को छोड़ दिया है।

परिवार ने दो-तीन नाम बताए हैं जिनको जांच में शामिल करने के लिए पुलिस को कहा गया है। पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को क्लीन चिट दी है उनकी संलिप्तता की दुबारा जांच करवाई जाए और इसमें एक मास्टर माइंड को लेकर गहनता से जांच करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि हत्या का कारण प्रेम प्रसंग हो या रुपयों के लेनदेन का इससे कोई लेनादेना नहीं है, लेकिन किसी को मारकर उसका वीडियो बना अमानवीयता का अधिकार किसी को नहीं है। इसी बात पर आयोग ने संज्ञान लिया है।

प्रेमपुरा में पीड़ित परिवार से मिला राष्ट्रीय एससी आयोग का दल, पूर्ण न्याय का दिलाया भरोसा

प्रेमपुरा दलित हत्याकांड को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला व सदस्य सुभाष रामनाथ पारथी बुधवार को प्रेमपुरा में पीड़ित परिवार से मिले। इस दौरान सांपला ने मृतक जगदीश के दादा, पिता व परिवार की महिलाओं से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की और पीड़ित परिवार को प्रकरण के तहत पूरा न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। सांपला ने कहा कि इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस मौके पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, एसपी प्रीति जैन, एसडीएम रणजीत कुमार, तहसीलदार बाबूलाल, एएसपी जस्सा राम बोस, सीओ रावतसर रणवीर मीणा, थानाधिकारी इंद्र कुमार वर्मा सहित पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इससे पहले आयोग अध्यक्ष व सदस्य से पूर्व मंत्री डॉ. रामप्रताप, बलवीर बिश्नोई, कैलाश मेघवाल, नारायण नायक आदि ने सर्किट हाउस में मुलाकात कर मामले को लेकर फीडबैक दिया।

Singhu victim's kin meet Sampla

NCSC chief promises release of compensation

Lakhbir Singh

CHANDIGARH, OCTOBER 25

The family members of the Dalit man who was murdered at the Singhu protest site on October 12 met National Commission for Scheduled Castes (NCSC) chairman Vijay Sampla at its headquarters in New Delhi on Monday.

Victim Lakhbir Singh's wife Jaspreet Kaur, three daughters, sister Raj Kaur, father-in-law Baldev Singh and brother-in-law Sukhchain Singh urged the NCSC chairman to ensure justice.

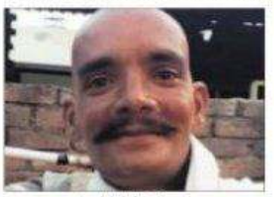

The body of Lakhbir was found hanging with severed hand, close to the main stage of the farmers' protest site. "The family informed the NCSC they have got no support from religious or social organisations or the state government even after two weeks of the incident. However, the NCSC will ensure the accused are booked under the Prevention of Atrocities Act. The young daughters of Lakhbir will get free education and money for livelihood and wife will get monthly pension. Compensation of at least Rs 8.25 lakh will be ensured," said Sampla. —TNS

The Tribune Tue, 26 October 2021 https://epaper.tribuneindia.com/c/63964536

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने राजस्थान का आधिकारिक दौरा किया।
इस दौरान आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री विजय सांपला एवं आयोग के सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी को स्थानीय प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। (ऊपर)

आयोग मुख्यालय में माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला,
आयोग के अधिकारियों के साथ एक मामले की सुनवाई करते हुए। (नीचे)

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003